



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श10)  
(सं0 पटना 923) पटना, मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 205, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :-

- (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
  - (2) ये नियम दिनांक 29.09.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, -
  - (i) नियम 24 में, उपनियम (4) में, "30 सितंबर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 अक्टूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
  - (ii) नियम 118 में, "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे;
  - (iii) नियम 119 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;
  - (iv) नियम 120 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

- (v) नियम 120क में, "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण" पार्श्व शीर्ष अंतःस्थापित किया जाएगा ;
- (vi) प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 में,—
- (क) "अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन" शीर्ष के स्थान पर "प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन" शीर्ष रखा जाएगा ;
- (ख) उपशीर्ष भाग-क के अधीन मद (i) के सामने "अनंतिम आई डी" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "जीएसटीआईएन" अक्षर रखे जाएंगे।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3693)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

#### 10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 206, एस०ओ० 205, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3693)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

#### *The 10<sup>th</sup> October 2017*

S.O. 205, dated the 10<sup>th</sup> October 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force with effect from 29<sup>th</sup> September, 2017.
2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, —
  - (i) in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word, "30<sup>th</sup> September", the figures, letters and word "31<sup>st</sup> October" shall be substituted;
  - (ii) in rule 118, for the words "a period of ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;
  - (iii) in rule 119, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;
  - (iv) in rule 120, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;
  - (v) in rule 120A, the marginal heading "**Revision of declaration in FORM GST TRAN-1**" shall be inserted;

(vi) in **FORM GST REG-29**, -

- (a) for the heading, “**APPLICATION FOR CANCELATION OF PROVISIONAL REGISTRATION**”, the heading, “**APPLICATION FOR CANCELATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS**” shall be substituted;
- (b) under sub-heading PART-A, against item (i), for the word and letters “Provisional ID”, the letters “GSTIN” shall be substituted.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3693)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,  
*Commissioner-cum-Principal Secretary,*  
*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 923-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>